1:36

प्रपत्र–36

मानक शर्ते मान्य होने का प्रमाण–पत्र

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित् नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यापक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियो पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमियों का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये, वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनाँक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण–पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन निगम अथवा और कोई उपर्युक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परियोजना व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाये का भुगतान याचक विभाग, वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खण्ड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्ते याचक विभाग को मान्य है।

कनिष्ट अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

<u>2.31</u>

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कपकोट–कर्मी मोटर मार्ग से तोली मोटर मार्ग, (लम्बाई 8.100 किमी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

टास्क फोर्स एवं भू वैज्ञानिक रिपोर्ट में दी गयी शर्तों को पालन करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग टास्क फोर्स एवं भू वैज्ञानिक रिपोर्ट में दी गयी शर्तों का पालन किया जायेगा ।

अपर सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता

प्रपत्र–37

परियोजना का नाम	:–	जनपद बागेश्वर में प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कपकोट–कर्मी मोटर मार्ग से तोली मोटर मार्ग, (लम्बाई 8.100 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रायोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

कनिष्ट अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

(राजस्व उपनिरीक्षक)

(तहसीलदार)

तहसील कपकोट

(जिलाधिकारी)

जिला अधिकारी
बागेश्वर

2.35

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग,के कि0मी0 2 से से बघर मोटर मार्ग (लम्बाई 9.934 किमी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्नलिखित स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र0सं0	ग्राम का नाम	कोड संख्या	परिवारों की संख्या	जनसंख्या
1	तोली	645600	136	808
योग:–			136	808

अपर सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

परियोजना का नाम	:–	जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कपकोट–कर्मी मोटर मार्ग से तोली मोटर मार्ग, (लम्बाई 8.100 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/ रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/ स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट, बागेश्वर।	सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट, बागेश्वर।	अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट, बागेश्वर।

2.34

प्रपत्र–39

परियोजना का नाम	:–	जनपद बागेश्वर में प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कपकोट–कर्मी मोटर मार्ग से तोली मोटर मार्ग, (लम्बाई 8.100 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल/रसौई गैस उपलब्ध कराये जाने प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

प्रपत्र–50

2·36

परियोजना का नाम	:–	जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कपकोट–कर्मी मोटर मार्ग से तोली मोटर मार्ग, (लम्बाई 8.100 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश आदेश संख्या 5–3/2007– एफ0सी0 दिनॉक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता नियता निम्नानुसार है:–

1. ईको– क्लास श्रेणी – 5 (V)
2. हरियाली का घनत्व – 0.2
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रुपये – 8.45 Lakh/ है0
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल – 4.734 है0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि – ₹40.023 लाख

वन क्षेत्राधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
[illegible] वन क्षेत्र कपकोट

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

प्रपत्र 51

परियोजना का नाम	:–	जनपद बागेश्वर में प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कपकोट–कर्मी मोटर मार्ग से तोली मोटर मार्ग, (लम्बाई 8.100 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट, बागेश्वर।	सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट, बागेश्वर।	अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट, बागेश्वर।

प्रपत्र 53

2.38

परियोजना का नाम	:–	जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कपकोट–कर्मी मोटर मार्ग से तोली मोटर मार्ग, (लम्बाई 8.100 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू)
लीज अवधि का प्रमाण–पत्र

(लागू नहीं है)

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

जिला अधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र 52 2.40

परियोजना का नाम	:–	जनपद बागेश्वर में प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कपकोट–कर्मी मोटर मार्ग से तोली मोटर मार्ग, (लम्बाई 8.100 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

क. स.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
			ल0	चौ0	ऊचाई				
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खौदना	38.00	0.900	0.900	0.100	3.078	Cum.	237.10	729.79
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	38.00	0.900	0.900	0.030	0.923	Cum.	352.30	325.31
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण	38.00	0.900	0.900	0.900	27.702	Cum.	8178.70	226566.35
4	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया कय करना	Reinforcement of R.C.C. Pillars (1.50%)				32.619	Qtl.	5694.77	185758.30
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	38x4	0.900		0.800	109.440	Sqm.	169.70	18571.97
		38x1	0.900	0.900		30.780	Sqm.	169.70	5223.37
7	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	38.00	5.00 Cm.			190.00	Cm.	0.60	114.00
8	पानी की ढुलाई आदि	38.00					Qtl.	57.25	2175.50
	कुल योग								**439464.59**

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0) बैजरो
मुख्यालय – सतपुली

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0) बैजरो
मुख्यालय – सतपुली

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0) बैजरो
मुख्यालय – सतपुली

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर ... ागग,बागेश्वर

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कपकोट–कर्मी मोटर मार्ग से तोली मोटर मार्ग, (लम्बाई 8.100 किमी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सीमा पिलरों पर होने वाले व्यय को वहन करने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा चिन्हीकरण हेतु होने वाला व्यय प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
...बागेश्वर

प्रपत्र—12

परियोजना का नाम	:–	जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कपकोट–कर्मी मोटर मार्ग से तोली मोटर मार्ग, (लम्बाई 8.100 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रस्तावित परियोजना हेतु दो समरेखणों पर विचार किया गया। समरेखण–2 को ग्राम सभा की आपत्ति एवं समरेखण की लम्बाई अधिक होने के कारण निरस्त किया गया। प्रस्तावित समरेखण–1 को ग्राम सभा की सहमति तथा कम वृक्षों की संख्या के कारण उचित पाया गया। तकनीकि, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से भी समरेखण–2 की उपेक्षा समरेखण–1 को उपयुक्त पाया गया है। प्रस्तावित एवं वैकलपिक संरेखण गूगल मानचित्र पर संलग्न।

कनिष्ट अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

परियोजना का नाम	:–	जनपद बागेश्वर में प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कपकोट–कर्मी मोटर मार्ग से तोली मोटर मार्ग, (लम्बाई 8.100 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृती

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृती (यदि लागू हो) संलग्न की जाय।

(लागू नहीं है)

कनिष्ट अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट, बागेश्वर।	सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट, बागेश्वर।	अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट, बागेश्वर।

फैक्ट सीट

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे0 में)– कपकोट–कर्मी मोटर मार्ग से तोली मोटर मार्ग

आरक्षित वन भूमि	–	शून्य हे0
वन पंचायत	–	3.150 हे0
सिविल सोयम भूमि	–	1.584 हे0
नाप भूमि	–	2.556 हे0
मलवा निस्तारण हेतु नाप भूमि	–	0.749 हे0
योग	–	**8.039 हे0**

2. प्रस्तावक विभाग का नाम – ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II,पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट, बागेश्वर

3. वन प्रभाग का नाम – बागेश्वर वन प्रभाग।

4. प्रस्ताव बाइंडिग किया गया है – हाँ/ नहीं

5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है – हाँ/ नहीं

6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग–1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। – हाँ/ नहीं

7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनाँक व स्थान भरा गया है। – हाँ/ नहीं

8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है। – हाँ/ नहीं

9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण–पत्र संलग्न है। – हाँ/ नहीं

10. बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। – हाँ/ नहीं

11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है – हाँ/ नहीं

12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। – हाँ/ नहीं

13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है – हाँ/ नहीं

14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है ✓– हाँ/नहीं

15. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है – हाँ✓/नहीं

16. प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है – हाँ✓/नहीं

17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है – हाँ/नहीं✓

18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है – हाँ/नहीं✓

19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है – हाँ✓/नहीं

20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है, तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) – हाँ/नहीं ✓

21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग–अलग रंगो से भरा गया है – हाँ✓/नहीं

22. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दू किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है – हाँ✓/नहीं

23. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है – हाँ/नहीं✓

24. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये। – हाँ/नहीं✓

25. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शायें गये है – हाँ✓/नहीं

26. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाये) – हाँ✓/नहीं

27. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तु – हाँ/नहीं✓ (5 है0 से कम है) है (5 है0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

28. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है – हाँ✓/नही

29. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है – हाँ✓/ नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण–प्रत्र संलग्न है– हाँ/नहीं

30. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न है – हाँ/नहीं

31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है – हाँ/नहीं

32 यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण–पत्र संलग्न है – हाँ/नहीं

33. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है – हाँ/नहीं

34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण–पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है – हाँ/नहीं

35. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण–पत्र संलग्न है – हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण–पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है।

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

2.30

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग,के कि0मी0 2 से से बघर मोटर मार्ग (लम्बाई 9.934 किमी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मानक शर्तों को मान्य किये जाने के सम्बन्ध मे प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना हेतु दी गयी समस्त मानक शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता